Ref. No.- 61/A. No-16/2024(Slaughter)/2024 Dated-22/04/2024

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.- **Interim report on behalf of respondent no. 1 in pursuant of the order passed by Hon'ble NGT order dated 11.03.2024 in Appeal No. 16/2024 (I.A. No. 116/2024 & I.A. No. 117/2024) M/s Slaughter House Nagar Nigam Saharanpur Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board.**

Respected Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith an Interim report on behalf of respondent no. 1 in pursuant of the order passed by Hon'ble NGT order dated 11.03.2024 in Appeal No. 16/2024 (I.A. No. 116/2024 & I.A. No. 117/2024) M/s Slaughter House Nagar Nigam Saharanpur Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board..

With regards.

Encl. : As above.

Yours faithfully,

22/04/2024
(Dr. Yogender Kumar)
Regional Officer.

Ref. No. and Date as above:-

Copy to :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, Noida for perusal and necessary action.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

GN

Interim report on behalf of respondent no. 1 in pursuant of the order passed by Hon'ble NGT order dated 11.03.2024 in Appeal No. 16/2024 (I.A. No. 116/2024 & I.A. No. 117/2024) M/s Slaughter House Nagar Nigam Saharanpur Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board.

1- That in pursuant to the direction given by Hon'ble NGT in the order passed on dated 11.03.2024 in Appeal No. 16/2024 (I.A. No. 116/2024 & I.A. No. 117/2024) M/s Slaughter House Nagar Nigam Saharanpur Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board. The main relevant contents of the order are reproduced as under:-

"......2. Submission of learned counsel for the appellant is that the unit will comply with all the requisite norms therefore, the closure may not be allowed to operate for a long time which will create inconvenience and problems to the local residents. She has further submitted that so far as composition of EC is concerned the EC amount will be deposited within a period of one week.

3. Having regard to the above submission and also considering the fact that the correctness of the order under challenged is to be examined in this appeal and also taking note of the circumstances of the case, we direct the respondent no. 1 to permit the trial run of the appellant unit for four weeks after deposit of EC amount and take the requisite samples on completion of four weeks and obtain the sample analysis report and submit the same before the Tribunal atleast one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. The further operation of the unit in terms of the interim order will be subject to examination of the sample analysis report.

5. Let notice be issued in the Appeal, I.A No. 116/2024 and I.A No. 117/2024 to the respondents. Appellant is directed to serve the respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

6. Respondent no. 1 is directed to produce original record along with a photocopy thereof leading to passing of the impugned order.

7. List on 30.04.2024

2- That a closure order was issued by the U. P. Pollution Control Board on 10-02-2024 against the M/s Slaughter House, Nagar Nigam, Kamela Colony, Saharanpur under section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended. The copy of closure order dated 10-02-2024 is annexed as **Annexure-1.**

3- That the Environment Compensation was imposed on M/s Slaughter House Nagar Nigam, Kamela Colony, Saharanpur and that the same was deposited by M/s Slaughter House Nagar Nigam, Kamela Colony, Saharanpur on dated 15.03.2024 and informed vide its letter dated 19.03.2024 to UPPCB. Copy of the letter dated 15.03.2024 is annexed as **Annexure-2.**

4- That, in compliance with the order passed by Hon'ble NGT the closure order issued to M/s Slaughter House Nagar Nigam, Kamela Colony, Saharanpur by the State Board, Lucknow is suspended for four weeks vide its letter-H08770/C-3/N.G.T.-14/2024 dated 27.03.2024. In compliance of the above order opened the seal on dated 29.03.2024.

5- That, the requisite sample shall be taken after four weeks and then analysis will be started, therefore it is not possible to submit the report to Hon'ble NGT on or before 30.04.2024.

6- That, in order to comply with the order passed by Hon'ble NGT, sufficient time will be required to sampling and their analysis. So kindly provide the same for sampling and analysis.

Therefore, it is most humbly prayed that this Hon'ble Tribunal may be very kindly graciously be pleased to allow further more time to file the analysis report in the interest of Justice.

(Mahendra Singh)
J.E.

(N.M. Tripathi)
A.S.O.

22/04/2024
(Yogendra Kumar)
Regional Officer

Annexure-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ संख्या: H06818 / सी–3 / जल 122 / सहा / 2024 दिनॉक: 1/2/24

सेवा में, पंजीकृत

मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, सहारनपुर,
कमेला कॉलोनी,
सहारनपुर।

यह कि मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर जोकि भैंस/भैसा की स्लाटरिंग हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र संख्या 98047/सी–3/जल–122/सहा0/2023 दिनांक 21.07.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.08.2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पशुबधशाला नगर निगम में स्थापित रेण्डरिंग प्लांट एवं ब्लडमील प्लांट संचालित नहीं पाया गया एवं लागबुक मेंटेन नहीं पायी गयी, जिससे पशुबध से जनित ठोस अपशिष्ट एवं ब्लड का अवैध निस्तारण किया जाना सम्भावित है। उत्प्रवाह के शुद्धिकरण के पश्चात रिसाइकिल किये जाने व सिंचाई में प्रयोग किये जाने की व्यवस्था स्थापित नही है। पशुबधशाला इकाई के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की "Revised comprehensive Industry documentation of Slaughter house" का एवं 24 कम्पेडियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं इकाई के विरूद्ध जन शिकायत प्राप्त है। पशुबधशाला के द्वारा भू–जल दोहन हेतु उ0प्र0 भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पशुबधशाला के आस–पास गोदाम एवं आवासीय आबादी स्थित है। पशुबधशाला इकाई में पशु कटान की संख्या एवं पशुकूरता अधिनियम के अनुपालन का सत्यापन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहारनपुर एवं नगर निगम, सहारनपुर द्वारा किया जाता है।

उद्योग का अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का रख–रखाव एवं संचालन संतोषजनक नही पाया गया। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की प्राईमरी क्लेरीफायर, सेकेण्ड्री क्लेरीफायर, ट्रशरी क्लेरीफायर एवं मल्टीग्रेड फील्टर पूर्णतः बन्द पाये गये। उक्त के अतिरिक्त फ्लैश मिक्सिग टैंक में केमिकल डोजिग नहीं की जाती पायी गयी। निरीक्षण के दौरान एयरेशन टैंक–2 से नमूना लेकर फीजिकल वेरिफिकेशन किया गया। फीजिकल वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया कि एयरेशन टैंक–2 में एम0एल0एस0एस0 शून्य पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि पशुवधशाला के ई0टी0पी0 में बायोलोजिकल ट्रीटमेन्ट मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है एवं उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में अलग से जल मिलाकर डायल्यूट किया जा रहा है। ई0टी0पी0 पर डी0ए0एफ0 की स्थापना नहीं की गयी है। उक्त पशुवधशाला में पशुओं की स्लाटरिंग हेतु आधुनिक उपकरण स्थापित है। किन्तु निरीक्षण के दौरान आधुनिक स्लाटरिंग कक्ष प्रयोग में नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय आनलाईन उत्प्रवाह मानिटरिंग सिस्टम एवं फ्लो मीटर संचालित नहीं पाया गया। सन्दर्भित पशुवधशाला को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल दिनांक–02.01.2020 की विशिष्ट शर्त सं0–19 एवं सहमति वायु दिनांक–27.12.2019 की विशिष्ट शर्त सं0–18 पर अंकित शर्त "The unit will submit purposal for shifting outside the populated area in a time bound manner within 03 months. के अनुपालन में उद्योग द्वारा समयबद्ध प्रस्ताव राज्य बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 06.01.2024 को उद्योग के निरीक्षण के दौरान पशुवधशाला के उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के इनलेट, फाईनल आउटलेट एवं एयरेशन टैंक–2 का नमूना एकत्रण का कार्य किया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालको का मान बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। इकाई से जनित उत्प्रवाह को नगर निगम की नाली के माध्यम से ढमोला में निस्तारित होता है। जोकि अन्ततः हिण्डन नदी में मिलता है। इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2024 तक सहमति निर्गत है। जिसकी शर्तो का उल्लंघन होता पाया गया।

यह कि मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 सं0–746/2023 (आई0ए0नं0–874/2023 व आई0ए0नं0–875/2023) सलीम बनाम एम0ओ0ई0एफ0 एवं अन्य योजित है, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–02.01.2024 को पारित आदेश के सुसंगत अंश "......... 3. Submission of learned Counsel for the Application is that slaughter house is located in the residential area in the midst of the City and that for violation of norms and violation of the CTO, only a meager compensation of Rs.6 lakhs has been imposed. He has referred to page 83 of the paper book and has submitted that Respondent No.13 has been found to be a water polluting industry is discharging effluent having BOD of 34 mg/l and COD of 264 mg/l directly or through its tributaries into river Hindon. He has also referred to paragraph 29 of the OA and has submitted that the conditions of CTO have been violated...." हैं। उक्त वाद मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, सहारनपुर के पत्र दिनाक 30.09.2023 एवं दिनांक 19.01.2024 द्वारा बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 21.07.2023 की पुष्टि करते हुए, पशुबधशाला के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाये।

(2)

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारपुर के विरूद्व सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के पत्र संख्या एच 98047/सी–3/जल–122/2023 दिनांक 21.07.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किये जाते है।

1. यह कि उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर को बोर्ड के पत्र दिनांक 27.12.2019 द्वारा निर्गत सहमति को निलम्बित (Suspend) किया जाता है।
2. यह कि उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
3. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

इसके अतिरिक्त मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश क अनुकम में सी0पी0सी0बी0 द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के निरीक्षण दिनांक 07.06.2023 से दिनांक 08.08.2023 की अवधि तक उल्लंघनकारी दिवस मानते हुए रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल 63 दिवसो हेतु कुल रू0 6,30,000/–(छः लाख तीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या 701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 को UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें। अन्यथा की दशा में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भॉति वसूली कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुकम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथडोलॉजी के अनुसार उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निरीक्षण दिनांक 09.08.2023 से पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक उल्लंघनकारी दिवसों की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर उक्त की वसूली की जाए।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट, डिवीजन–1, 2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मै0 पशुबधशाला, नगर निगम, कमेला कॉलोनी, सहारनपुर की बन्दी सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

o/c

Annexure-2 Date 20/03/

कार्यालय नगर निगम, सहारनपुर।

पत्रांक- 408 /प0चि0क0अधि0/न0नि0सहा0/2023-24 दिनांक- 19/03/2024

प्रेषक,

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः- **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 16/2024 मै0 स्लाटर हाउस, नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली मे योजित रिट सं0 16/2024 मै0 स्लाटर हाउस नगर निगम सहारनपुर बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मे पारित आदेश दिनांक 11.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश के अनुपालन मे श्री फरमान पुत्र श्री बशीर अहमद, ठेकेदार स्लाटर हाउस, नगर निगम सहारनपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्लाटर हाउस नगर निगम सहारनपुर पर लगाई गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6,30,000/-(छः लाख तीस हजार रूपये मात्र) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता सं0 701502010002104, आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN0570150 में जमा करा दिया गया है। पशुवधशाला के पुनः संचालन के सम्बंध में नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय पत्र सं0 392/प0चि0क0अधि0/न0नि0सहा0/2023-24 दिनांक 27.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 10.02.2024 को बोर्ड के बंदी आदेश जारी होने से एक दिन पूर्व ही पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी के कार्यालय पत्र सं0 383/प0चि0क0अधि0/न0नि0सहा0/2023-24 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा आपके कार्यालय पत्र सं0 H98047/सी-3/जल-122/सहा0/23 दिनांक 21.07.2023 में उल्लिखित दिनांक 07.06.2023 को बोर्ड द्वारा किये गये निरीक्षण में पायी गयी कमियों को ठीक कराते हुए अपनी आख्या मय साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को प्रेषित की गई है। बोर्ड द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में मै0 पशुवधशाला नगर निगम कमेला कॉलोनी सहारनपुर का संचालन स्थगित होने के कारण नगर निगम, सहारनपुर सीमान्तर्गत उपरोक्त कार्य से जुड़े सैंकड़ों गरीब लोगों की आजीविका पर संकट आ गया है जिसके कारण विभिन्न सामाजिक संगठन तथा मा0 पार्षदगण आदि उपरोक्त के समर्थन में नगर निगम कार्यालय में पशुवधशाला के पुनः संचालन हेतु अनुरोध पत्र तथा ज्ञापन प्रेषित कर चुके है। पशुवधशाला के बंद होने से क्षेत्र में अवैध कटान की आशंका भी बढ़ गई है जिससे लॉ एण्ड आर्डर बिगड़ने की भी प्रबल सम्भावना है। उक्त के अतिरिक्त पशुवधशाला बंद होने से नगर निगम सहारनपुर को 2,62,00,786 (दो करोड़ बाहसठ लाख सात सौ छियासी रू0 मात्र) की वित्तीय क्षति भी होगी जिससे विभिन्न विकास कार्य बाधित होंगें।

अतः उपरोक्त वाद मे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित रिट सं0 16/2024 मे पारित आदेश दिनांक 11.03.2024 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-यथोपरि

ASO/JE 20/03/2024

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, सहारनपुर।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, सहारनपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर।

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।

सेवा में,

नगर आयुक्त

नगर निगम सहारनपुर।

विषयः उ0प्र0 नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र सं0 H06818/सी-3/ जल 122 /स0पुर 2024 10.2.2024 के सम्बंध में व 11.3.2024 एनजीटी के आदेशानुसार रू0630000/- के सम्बंध मे प्रार्थनापत्र।

महोदय

निवेदन यह है कि उ0प्र0प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया वैभव खण्ड गोमतीनगर लखनऊ खाता सं0 701502010002104 व जिसका IFSC कोड UBIN0570150 में रू0630000/- जमा करवा दिए गए है (साक्ष्य साथ में संलग्न है) आप द्वारा क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड व लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करे जिससे एनजीटी के आदेशानुसार पशुवधशाला में लगायी सील को हटवाने के आदेश पारित करने की कृपा करें आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक 15.3.2024

पशुवधशाला ठेकेदार प्रार्थी

फरमान पुत्र बशीर

निवासी लोहानी सराय सहारनपुर

प्रतिलिपि

1. पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी
2. अपर आयुकत नगर निगम सहारनपुर
3. क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड सहारनपुर।

Indian Bank ALLAHABAD

Sahranpur Branch Date 16/03/2024

Sender			Beneficiary	
Name and Address	Shoeb Traders		Bank and Branch Name	Union Bank of India
Type of account	SB/CA/CC/OCC		Destination Branch IFSC Code	UBIN0570150
Account Number			Name and address	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Mode of particulars		CASH/TRANSFER	Type of Account	701502010003104
Time of receipt			Account Number	701502010003104
Amount	Rs. 630000-		Amount in words (including charges)	
Charges	Rs.			
Purposed				

Terms & Conditions
All Terms & Conditions as per Bank policy.

A/c Holder Singnature

इंडियन बैंक Indian Bank ALLAHABAD

Branch: SAHARANPUR COURT ROAD
P.S No 72 Scotia Market, Court Road Saharanpur
Uttar Pradesh - 247001
IFS Code: IDIB000S045

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

Date: 1 5 0 3 2 0 2 4
D D M M Y Y Y Y

PAY Yourself R.T.C.S. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड OR BEARER या धारक को

RUPEES रुपये Six Lakh Thirty Thousand Rupees only

अदा करें ₹ 630000/-

CA खा. सं. A/c. No. 6496995495

CBS Code: 00643

FOR SHOEB TRADERS
[signature]
PROPRIETOR
Please sign above

992000002

PAYABLE AT PAR AT ALL OUR BRANCHES

⑈294021⑈ 247019002⑆ 995495⑈ 29